3 शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों से निपटता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई वचन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतर्ग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में तथा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की क्रियाविधि

जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत प्राप्त होती है (किसी भी तरीके से), उसे पंजीकरण हेतु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में भेजा जाता है, जहां उसकी आयोग में प्राप्ति की तिथि, संख्या, प्रेषक का नाम तथा पता, मामला संख्या, श्रेणी तथा राज्य, आदि जैसे ब्योरों को नोट किया जाता है। पंजीकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। फिर एक जांच समिति गठित करने की अध्यक्षा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रायः संज्ञान में ली गई शिकायतों को क्रम–वार नोट किया और सी एंड आई प्रकोष्ठ के विभिन्न पराशर्मदाताओं के मध्य वितरित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता एक सदस्य के साथ संबद्ध होता है।

परामर्शदाता मामलों की संक्षिप्त प्रसारण रिपोर्ट (बी टी आर) तैयार करते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति तथा अधिदेश के अनुसार मामले में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देते हैं। उक्त रिपोर्ट को फिर अनुमोदन हेतु संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात परामर्शदाता आदेशों/ निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को मुहैया कराई जाती है और उससे कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता को कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो मामले को संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनके अनुमोदन से उस मामले को बंद कर दिया जाता है। तथापि यदि शिकायतकर्ता कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी टिप्पणियों को मंगवाया जाता है तथा उसके पश्चात उनके मद्देनजर उचित कार्रवाई की जाती है।

आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्य द्वारा किसी घटना/ घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने, संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने, सुनवाई हेतु पक्षों को बुलाने, सुनवाई करने तथा बयानों को दर्ज करने, परामर्श सत्र आयोजित करने तथा समाधान लाने और रिपोर्टों पर सिफारिशें करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ संबंधित सदस्य के समग्र पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में कार्य करता है। अंतिम निर्णय संबंधित सदस्य द्वारा लिया जाता है, जो यह निर्णय करता है कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए अथवा और आगे सुनवाई की जाए अथवा संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें प्राप्त की जाएं अथवा आयोग के अनुमोदन से एक जांच समिति के गठन की सिफारिश की जाए। तथापि समिति का गठन केवल अध्यक्ष द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। सामान्यतया शिकायत के अंतिम निपटान के समय सभी मामलों में शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा

जाता है, चाहे आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं। सी एंड आई प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

(1) पुलिस द्वारा जांच में तेजी लाई जाती है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

(2) परिवार के विवादों को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है अथवा संबंधित पक्षों में सुलह करवाई जाती है।

(3) गंभीर तथा जघन्य अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़ित को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। इन रिपोर्टों के क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निगरानी रखी जाती है। इन समितियों में विशेषज्ञों/ वकीलों को शामिल करने का भी प्रावधान है।

(4) कुछ शिकायतों को संबंधित राज्य महिला आयोग और अन्य मंचों जैसेकि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि को भी उनके द्वारा मामले के निपटान हेतु अग्रेषित किया जाता है।

(5) ***विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में,*** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय के 1997 के निर्णय ***(ए आई आर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011)*** के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता द्वारा पीड़ित महिला को एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया तथा मुआवजे के भुगतान सहित उपचार मुहैया कराना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों में संबंधित संगठन से विशाखा मामले के अनुसार एक समिति गठित करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में पीड़ित महिला कर्मचारी की शिकायत की जांच करने तथा आयोग को उक्त की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। इन मामलों पर नियमित निगरानी रखी जाती है तथा संबंधित संगठनों को मामले के शीघ्र निपटान हेतु निर्देश दिए जाते हैं।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2005 में शिकायतों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की। इस सुविधा से, आयोग के वेबसाइट www.nic.in के जरिए और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें जल्द और आसानी से पंजीकृत कराई जा सकती हैं। परिणामस्वरूप, शिकायतों का त्वरित पंजीकरण हो रहा है और शिकायतकर्ता को कहीं कम लागत पर और बिना किसी कठिनाई के अपनी शिकायत दर्ज होने की सूचना मिल जाती है। अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस साइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कथित शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल साइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है:

वर्तमान में आयोग को प्राप्त शिकायतों का निम्नलिखित शीर्षों के तहत पंजीकृत किया जाता है :–

(1) तेजाब से हमला

(2) हत्या का प्रयास

(3) बलात्कार का प्रयास

(4) द्वि–विवाह/ व्यभिचार

(5) बालकों की अभिरक्षा

(6) साइबर अपराध

(7) परित्याग

(8) तलाक

(9) घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद

(10) दहेज मृत्यु

(11) दहेज उत्पीड़न

(12) नारी शिशु हत्या/ भ्रूणहत्या

(13) कार्यस्थल पर उत्पीड़न

(14) दहेज हेतु उत्पीड़न/ निर्दयतापूर्ण व्यवहार

(15) अपहरण/ भगा ले जाना

(16) भरण–पोषण

(17) विविध

(18) महिला को छेड़ना/ तंग करना

(19) हत्या

(20) अनधिदेशित

(21) अप्रवासी भारतीयों से विवाह

(22) पुलिस की उदासीनता

(23) पुलिस द्वारा उत्पीड़न

(24) संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन)

(25) बलात्कार

(26) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

(27) आश्रय/ पुनर्वास

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान पंजीकृत शिकायतें (श्रेणी–वार और राज्य–वार)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग को **12895** शिकायतें/ मामले प्राप्त हुए और उनका पंजीकरण किया गया। वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों/ मामलों का श्रेणी–वार और राज्य–वार विवरण अनुलग्नक **क–2** और **क–3** में दिया गया है, जहां शिकायतों को 27 श्रेणियों/ शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग को प्राप्त शिकायतों/ मामलों के श्रेणी–वार अवरोही क्रम में वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक **2020** शिकायतें दहेज उत्पीड़न से संबंधित थीं, जिनके बाद घरेलू हत्या/ वैवाहिक विवाद से संबंधित **1137** शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई थीं। दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या **602**, महिलाओं को छेड़ने/तंग करने के मामलों की संख्या **297,** अपहरण/ भगा ले जाने के मामलों की संख्या **308**, पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या **487** थी जबकि पुलिस की उदासीनता से संबंधित शिकायतों की संख्या **682** थी। बलात्कार के प्रयास से संबंधित शिकायतों की संख्या **218** तथा बलात्कार से संबंधित मामलों की संख्या **577** थी। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या **164** थी जबकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की संख्या **349** थी। द्विविवाह/ व्यभिचार के मामलों की संख्या **156** तथा संपत्ति (विधवा संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि) से संबंधित शिकायतों की संख्या **621** थी। अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में शिकायतों की संख्या **41,** तलाक के मामलों की संख्या **10** तथा परित्याग से संबंधित मामलों की संख्या **45** थी। तेजाब से हमलों के **8** मामले और नारी शिशु हत्या/ भ्रूण हत्या के **06** मामले पंजीकृत किए गए। विविध प्रकार के **498** मामले दर्ज किए गए जबकि आयोग द्वारा अनधिदेशित श्रेणी में **508** मामले पंजीकृत किए गए।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई है:

क्रम सं.	श्रेणी*	शिकायतों की संख्या
1.	दहेज उत्पीड़न	2020
2.	घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद	1137
3.	पुलिस की उदासीनता	682
4.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि)	621
5.	दहेज मृत्यु	602
6.	बलात्कार	577
7.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	487
8.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	349
9.	अपहरण/भगा ले जाना	308
10.	महिलाओं को छेड़ना/तंग करना	297

**टिप्पणी: उपर्युक्त सारणी में विविध/अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।*

वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त राज्य–वार शिकायतों/ मामलों को अनुलग्नक–4 में दर्शाया गया है। आयोग को उत्तर प्रदेश से **6813** शिकायतें/मामले, दिल्ली से **1910** शिकायतें, राजस्थान से **919** शिकायतें, हरियाणा से **700** शिकायतें और मध्य प्रदेश से **431** शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

वर्ष 2008–09 के दौरान सबसे अधिक शिकायतें/ मामले जिन राज्यों से संबंधित हैं, उनके संबंध में ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	6813
2.	दिल्ली	1910
3.	राजस्थान	919
4.	हरियाणा	700
5	मध्य प्रदेश	431
6.	बिहार	338
7.	महाराष्ट्र	230
8.	पंजाब	212
9.	उत्तराखंड	212
10.	तमिलनाडु	186

इससे पता चलता है कि समाज मानता है कि आयोग विपदाग्रस्त महिलाओं तथा जनसाधारण को हितकर सेवा प्रदान करने वाला एक आवश्यक संगठन है। शिकायतों के निपटान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/ प्रणाली से शिकायतों के निपटान में अनेक सफलताएं मिली हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सफल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयोग द्वारा निपटाए गए चुनिंदा सफल मामले

1. राष्ट्रीय महिला आयोग को मथुरा, उत्तर प्रदेश के निवासी श्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के पति और ससुराल पक्ष के लोग उनकी पुत्री से दहेज की मांग कर रहे थे, उसका उत्पीड़न कर रहे थे और उसे यातना दे रहे थे। जब उनकी पुत्री अपने सुसरालियों द्वारा मांगी गई एक लाख रुपए की राशि उन तक नहीं पहुंचा पाई तो उसे उसके ससुराल के घर से बाहर निकाल दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में समझौता कराने के अनेक प्रयास किए

किंतु उसे सफलता हासिल नहीं हुई। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता ने सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण ली। आयोग ने मथुरा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस मामले को उठाया और उनसे इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप पर एक जांच आयोजित की गई तथा दोनों पक्षों को बुलाया गया, जिसमें उन दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। शिकायतकर्ता अपनी ससुराल के घर में वापस पहुंच गई तथा उसके पति ने यह आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग को माल रोड, दिल्ली की निवासी सुश्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उसके पति का विवाहेतर संबंध है और उसके पति बार–बार घर से बाहर रहते हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों को आयोग में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुलाया, जिसमें दोनों पक्षों को समझाने–बुझाने के बाद एक उचित समाधान निकला। शिकायतकर्ता का पति परिवार के भरण–पोषण के लिए अपने वेतन का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हो गया तथा इस बात पर भी सहमत हुआ कि वह अपने परिवार के साथ रहेगा।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग को तिलक नगर, नई दिल्ली की निवासी सुश्री जेड से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज की मांग कर रहे थे और उसका उत्पीड़न कर रहे थे। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों को आयोग में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुलाया गया ताकि मामले को आरंभिक चरण में ही सुलझा लिया जाए। आयोग द्वारा निरंतर समझाने–बुझाने और प्रयास किए जाने के पश्चात दोनों पक्ष एक उचित समझौते पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता और उसके पति ससुराल पक्ष के लोगों से अलग घर में रहेंगे और ससुराल पक्ष के लोग उनके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता के पति ने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग को एक अवयस्क लड़की सुश्री 'ए', जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उसे उसके नियोक्ता जिसके घर में वह एक घरेलू कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी। चूंकि यह एक गंभीर मामला था, अतः आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री मंजू एस. हैमब्रम की अध्यक्षता में एक टीम जिनके साथ चाइल्ड लाइन (गुड़गांव में कार्यरत एक गैर–सरकारी संगठन) के सदस्य भी शामिल थे, को उस लड़की को उसके नियोक्ता से मुक्त कराने के लिए तत्काल भेजा। यह टीम उस घर में गई तथा उस लड़की को उसके नियोक्तां से मुक्त करा लिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री से मामले को व्यक्तिगत रूप में देखने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस मामले में उचित जांच की जाए। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक को मामले की छानबीन करने और उस लड़की के नियोक्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल के परिणामस्वरूप मुक्त कराई गई लड़की सुश्री 'ए' को दिल्ली के एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास केंद्र में रखा गया।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को बूंदी, जिला राजस्थान की निवासी श्रीमती 'एस' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उत्पीड़न/ यातना दे रहे हैं। उसने आयोग से यह शिकायत की कि उसकी ससुराल के लोगों से यह कहा जाए कि वे उसका "स्त्रीधन – दहेज की राशि, आभूषण, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं आदि" लौटा दें। आयोग ने शिकायतकर्ता के ससुराल पक्ष से "स्त्रीधन" की वापसी के संबंध में मामले की जांच की तथा पुलिस अधीक्षक, बूंदी, राजस्थान से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पुलिस ने कार्रवाई की तथा शिकायतकर्ता को उसकी बहुमूल्य चीजें वापस मिल गईं।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग को नई दिल्ली की निवासी श्रीमती 'एक्स' से अक्तूबर, 2008 में एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह आरोप लगाया कि उनका वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के निवासी श्री 'वाई' से विवाह हुआ था और वह एक सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थीं, जिस दौरान वह चार बच्चों की मां भी बनी। तथापि बाद में उसके पति अत्यधिक शराब पीने लगे, जिसके कारण उसके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, श्री 'वाई' पर यह आरोप भी लगाया गया कि वे अपनी पत्नी और बच्चों को पीटते भी थे। उसने अपने मित्रों की सलाह पर अपने गांव में अपना एक भूखंड भी बेच दिया। वर्तमान में शिकायतकर्ता दिल्ली में अपने मां–बाप के साथ रह रही थी। उसने यह कहा कि उसके पति अनेक वर्षों से उसे भरण–पोषण हेतु कोई राशि नहीं दे रहे हैं और उसने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रख लिया है। इस स्थिति से विक्षुब्ध होकर उसने आयोग को शिकायत की है। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाया गया और दोनों पक्षों को आयोग के कार्यालय में एक निर्धारित तारीख को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया और दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और उन्हें परामर्श दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, पति ने लिखित में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं पीटेगा, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा तथा अपनी पत्नी की अनुमति के बिना अपने गांव में शेष भूमि को नहीं बेचेगा तथा शराब भी नहीं पीएगा।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग को नवंबर 2008 में नई दिल्ली की निवासी श्रीमती 'जी' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनसे उनके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग की जा रही है तथा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और यातनाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस जिला अधीक्षक से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की और इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और विवाद का उचित रूप में समाधान हो गया।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग को नवंबर, 2008 में नई दिल्ली की निवासी श्रीमती 'डी' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है तथा यातनाएं दी जा रही हैं तथा साथ ही, उसे उसके वित्तीय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आयोग द्वारा इस मामले को हाथ में लिया गया तथा फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की गई, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के बीच तालमेल के साथ आपस में रहने के लिए समझौता हुआ।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की निवासी 35 वर्षीया सुश्री 'एक्स' जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी, से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके माता–पिता मानसिक यातना दे रहे हैं और उसके साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। आयोग द्वारा मामले को हाथ में लेने तथा दोनों पक्षों को समझाने–बुझाने पर तथा उनकी व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई करने के पश्चात माता–पिता अपनी पीड़िता पुत्री पर उचित ध्यान देने के लिए सहमत हुए, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता ने मामले को बंद करने का अनुरोध किया।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली निवासी श्रीमती 'एक्स' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर यह आरोप लगाया कि वे उससे दहेज की मांग कर रहे हैं और उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया, जिस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच बहुत मामूली मतभेद था, जो पति द्वारा अवहेलना किए जाने के कारण काफी बढ़ गया था, जिसके कारण वह अपनी ससुराल के घर को छोड़ने के लिए बाध्य हो गई थी। व्यक्तिगत सुनवाई तथा दोनों पक्षों के बीच तालमेल हेतु प्रभावी ढंग से प्रयास किए जाने के फलस्वरूप उनके बीच समझौता हो गया।

11. राष्ट्रीय महिला आयोग को श्रीमती 'एक्स' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसका उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं और उसे शारीरिक और मानसिक यातना/ घरेलू हिंसा का शिकार बना रहे हैं। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा जिला करनाल (हरियाणा) के पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की तथा उनसे शिकायत की जांच करने और मामले के संबंध में तथ्यात्मक ब्योरों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय महिला आयोग को करनाल के पुलिस उपाधीक्षक से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323/506/34 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा के अंतर्गत भी कार्रवाई शुरू की है, जिससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है।

12. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की निवासी श्रीमती 'वाई' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी पुत्री सुश्री 'ए' का शिकायत में नामित कथित आरोपित व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है/ उसे भगा कर ले जाया गया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि वह कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाने में गई थी, किंतु न तो उसकी प्राथमिकी ही दर्ज की गई है और न ही संबंधित पुलिस अधिकारियों से उसे कोई सहायता ही उपलब्ध हुई है। उसने इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की ताकि उसकी पुत्री अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाई जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में तत्काल कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे जेल भेज

दिया गया है जबकि अपहरण की गई लड़की को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मामले की और अधिक जांच किए जाने पर उपर्युक्त प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है।

13. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला फरीदाबाद, हरियाणा की निवासी सुश्री 'ए' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि कथित व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसने यह भी कहा कि उसने संबंधित पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट की थी तथा फरीदाबाद में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। तथापि उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा अभी तक सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसने इस संबंध में आवश्यक सहायता तथा हस्तक्षेप हेतु हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, फरीदाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क किया किंतु उसे इस संबंध में कोई सकारात्मक सहायता नहीं मिल पाई। इसके पश्चात, विक्षुब्ध होकर उसने राष्ट्रीय महिला आयोग में संपर्क किया तथा अपनी शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष उठाया और उनसे इस मामले में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, राष्ट्रीय महिला आयोग को फरीदाबाद के पुलिस उप अधीक्षक से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि मामले की जांच की गई तथा जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों में से एक व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य पाए गए, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य अभियुक्तों की कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं है।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग को गुड़गांव जिला, हरियाणा की निवासी श्रीमती 'एक्स' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और देवर, जेठ द्वारा उत्पीड़न/यातना / क्रूरतापूर्ण व्यवहार/ घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया। आयोग की मध्यस्थता के फलस्वरूप शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच मतभेद समाप्त हो गया। दोनों पक्षों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपने निजी जीवन में ससुराल के लोगों के हस्तक्षेप को कम से कम करें। शिकायतकर्ता अपने पति के साथ अपनी ससुराल के घर में रहने लगी। इस संबंध में दो बार अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि दोनों पक्ष आपस में तालमेल के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

15. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की निवासी श्रीमती 'के' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। उसने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि किसी बैठक के दौरान एक शिक्षक श्री 'आर' ने कुछ अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में उससे अशोभनीय शब्द कहे, जिसका शिकायत में उल्लेख किया गया है। आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तथा जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। तत्पश्चात आयोग को उपर्युक्त प्राधिकारी से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर उचित समाधान हो गया है तथा वे भविष्य में आपस में अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए सहमत हो गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के अंतर्गत की गई जांच

राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करता है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने और महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित कानूनों को क्रियान्वित न करने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है। इस संबंध में कुछ चुनिंदा मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:

1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में स्थित स्वरूप नगर इलाके में यातायात पुलिस के एक सिपाही द्वारा एक चलती कार में 12 वर्षीय एक अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले को आयोग द्वारा अपने हाथ में लिया गया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली पुलिस से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं:

- अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- पुलिस ने कार्रवाई की तथा दो अभियुक्तों अर्थात सिपाही और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया;
- अभियुक्त यातायात पुलिस कर्मी को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है; अपराध को करने के लिए प्रयुक्त वाहन को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है;
- मामले की अभी जांच की जा रही है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें दैनिक ट्रिब्यून में "घरेलू नौकरानी की फंदे में झूलती लाश मिली" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। चूंकि यह एक गंभीर मामला था, अतः आयोग ने तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, फरीदाबाद के पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पलवल और पुलिस अधीक्षक, पलवल से कृत कार्रवाई रिपोर्टें भेजने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गईं:

- अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 366 और 32 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- मृतका का शव अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को सौंप दिया गया है;
- अभी जांच की जा रही है तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले में पूरी तरह से जांच करने का आदेश दे दिया गया है।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि चंडीगढ़ में सितंबर, 2008 में जर्मनी की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई है। आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तथा पंजाब पुलिस से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप पर पंजाब पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

- मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मॉडल जेल, बुराली, चंडीगढ़ में बंद कर दिया गया है;
- इस मामले में प्राप्त साक्ष्यों (एग्जिबिट) को निदेशक, सी एफ एस एल को जांच के लिए भेज दिया गया है;

- जांच पूरी हो चुकी है तथा न्यायालय में 21.11.2008 को चालान प्रस्तुत कर दिए गए। माननीय न्यायालय के समक्ष कार्रवाई चल रही है।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जनवरी 2009 में नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में एक कार में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा एक जांच समिति गठित की गई, जो तत्काल संबंधित पुलिस थाने और घटनास्थल पर गई । पुलिस द्वारा आयोग को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कार्रवाई के संबंध में सूचना दी गईः

- पीड़िता के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में पुलिस को सूचना मिलने के पश्चात पुलिस थाना सेक्टर 39, नोएडा में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 376, 394 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;

- पुलिस द्वारा जिला अस्पताल, नोएडा में पीड़िता की चिकित्सीय जांच करवाई गई है;

- पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान इन अभियुक्तों ने इस जघन्य अपराध को करना स्वीकार किया है। ये सभी अभियुक्त गांव गढ़ चौखंडी के रहने वाले हैं, जहां कथित घटना घटी। वहां से पुलिस द्वारा दो मोटरसाइकिलें, क्रिकेट का बल्ला, हैलमेट, तीन मोबाइल हैंडसेट आदि जब्त किए गए हैं;

- जांच के दौरान 06 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का नाम भी सामने आया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने छापे मारने/गिरफ्तारियां करने के लिए टीम गठित कर दी है।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोवा में यूनाइटिड किंगडम की एक लड़की सुश्री स्कारलेट इडेन कीलिंग की रहस्यमय मृत्यु की घटना पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा एक जांच समिति गठित की गई, जिसने तत्काल गोवा जाकर मामले के संबंध में जांच–पड़ताल की। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप और सुश्री फियोना मेकोन (मृतका की मां) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर इस मामले में निम्नलिखित कारवाई की गईः

- मृतका के शव की दूसरी बार शव–परीक्षा किए जाने के पश्चात अंजुना पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है;

- मामले की जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 34 के साथ पठित धारा 328 तथा गोवा बाल अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(2) के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया;

- अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं;

6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें दैनिक जागरण, नई दिल्ली संस्करण में "डायन के आरोप में दंपति की हत्या" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा जिला मजिस्ट्रेट, गुमला, झारखंड से इस संबंध में कृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई/करने की सूचना प्रदान की गईः

- अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 तथा झारखंड जादू–टोना विरोधी अधिनियम, 2001 की धारा 3/4 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;

- पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा एक अभियुक्त, जो गिरफ्तारी के भय से फरार है, की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं;

7. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण में "एनोदर स्लर ऑफ हरियाणा पुलिस : एसएचओ बुक्ड फॉर रेप" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा और जिला मजिस्ट्रेट, करनाल, हरियाणा से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई। इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई/करने की सूचना प्रदान की गई:

- पुलिस थाना – निसिंग, जिला करनाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(1) और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- पीड़िता की चिकित्सीय जांच की गई है तथा उसकी योनिस्राव (प्रतिदर्श) को जांच के लिए एस एफ एल, मधुबन भेजा गया;
- अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे जेल भेज दिया गया है;
- इसके अतिरिक्त, आरोपित निरीक्षक को विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है;
- मामले की अभी जांच की जा रही है।